The Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014

Act 1 of 2015

Keyword(s):
Motoryan, Karadhan, Motoryan Karadhan Adhiniyam

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 जनवरी 2015—पौष 13, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2015

क्र. 61-2-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 जनवरी 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २०१५.

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१४.

[दिनांक 2 जनवरी, 2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 3 जनवरी 2015 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में उपधारा (१) में,—

(एक) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द ''प्रथम अनुसूची'' के स्थान पर, शब्द ''प्रथम अनुसूची तथा द्वितीय अनुसूची'' स्थापित किए जाएं;

(दो) प्रथम परन्तुक का लोप किया जाए.

प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची एवं तृतीय अनुसूची का स्थापन. ३. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची एवं तृतीय अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

''प्रथम अनुसूची

[धारा ३ की उपधारा (१) देखिए]

मोटरयान का वर्ग (१)	मोटरयानों के लिए कर की दर (रुपयों में) (२)
(एक) मोटर साइकिल—	९० प्रति तिमाही
(दो) मोटरयान—	
(क) जिनकी बैठक क्षमता ३+१ से अधिक नहीं है	९० प्रति सीट प्रति तिमाही
(ख) जिनकी बैठक क्षमता ३+१ से अधिक ६+१ तक है	३०० प्रति सीट प्रति तिमाही
(ग) जिनकी बैठक क्षमता ६+१ से अधिक १२+१ तक है	४५० प्रति सीट प्रति तिमाही
(तीन) अशक्त यात्री गाड़ी (विनिर्माताओं द्वारा बनाई गई)	९ प्रति तिमाही

(१)	(२)
(चार) लोक सेवा यान—	
(१) १३+१ या इससे अधिक यात्रियों को बैठाने के लिए अनुज्ञात यान तथा जो किराए या पारिश्रमिक (रिवार्ड) पर मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी (कांट्रेक्ट कैरेज) के रूप में चलाया जा रहा हो.	
(क) शहरी मार्गों पर नगर सेवा/सिटी बस के रूप में चलाए जाने के लिए	९० प्रति सीट प्रति तिमाही
(ख) शहरी मार्गों से लगे हुए क्षेत्रों में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए.	१५० प्रति सीट प्रति तिमाही
(२) १३+१ या अधिक यात्रियों को बैठाने के लिए अनुज्ञात यान तथा जो अतिरिक्त/आरक्षित यान के रूप में रखा गया है.	१८० प्रति सीट प्रतिमाह
(३) शहरी मार्गों से भिन्न मार्गों पर मंजिली गाड़ी के रूप में चलाए जाने के लिए अनुज्ञात यान और जहां कि एक दिन में तय की जाने वाली अनुज्ञात कुल दूरी—	
(क) १०० कि.मी. से अधिक नहीं है—	१८० प्रति सीट प्रतिमाह
(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १० कि.मी. या उसके भाग के लिए	रुपए १२ प्रति सीट प्रतिमाह
(४) यदि यान पट्टा करार (लीज एग्रीमेंट) के अधीन है और यह मंजिली गाड़ी के रूप में संचालित है.	उद्ग्रहीत कर के अतिरिक्त २०%
(५) (क) अंतर्राज्यीय मार्गों पर पारस्परिक करार के अधीन चलाए जाने के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यान—	
(एक) साधारण बस के लिए	प्रत्येक १० कि.मी. या उसके भाग के लिए रुपए १२ प्रति सीट प्रतिमाह.
(दो) साधारण बस से भिन्न के लिए	प्रत्येक १० कि.मी. या उसके भाग के लिए रुपए १५ प्रति सीट प्रतिमाह.
(ख) अंतर्राज्यीय मार्गों पर पारस्परिक करार के बिना चलाए जाने के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यान	ऊपर (क) (एक) और (दो) में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त रुपये ६० प्रति सीट प्रतिमाह या उसके भाग के लिए.
(६) ठेका गाड़ी यान—	
(क) राज्य के भीतर ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जाने के लिए अनुज्ञात यान जिनकी बैठक क्षमता १३+१ या अधिक है.	रुपए ६०० प्रति सीट प्रतिमाह

(१)	(२)
(ख) ऐसे यान, जिनकी बैठक क्षमता १३+१ या अधिक है और जो मोटरयान अधिनियम, १९८८ की धारा ८८ की उपधारा (९) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जारी किए गए "आल इंडिया टूरिस्ट परमिट" के अंतर्गत ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जाने के लिए अनुज्ञात हैं.	रुपए ७०० प्रति सीट प्रतिमाह
(ग) ऐसे यान, जिनकी बैठक क्षमता १३+१ या अधिक है और जो मोटरयान अधिनियम, १९८८ की धारा ८८ की उपधारा (८) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जारी किए गए विशेष अनुज्ञा-पत्र पर ठेके पर चलाए जा रहे हैं.	रुपए १८० प्रति सीट प्रतिमाह + अतिरिक्त/आरक्षित मोटरयान कर.
(घ) ऐसा यान, जो मोटरयान अधिनियम, १९८८ की धारा ८८ की उपधारा (९) के अधीन अन्य राज्य द्वारा जारी किए गए "आल इंडिया टूरिस्ट परमिट" या धारा ८८ की उपधारा (८) के अधीन जारी किए गए विशेष अनुज्ञा पत्र के अंतर्गत ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जाने के लिए अनुज्ञात है—	
(एक) बैठक क्षमता १२+१ तक	रुपए ५० प्रति सीट प्रति दिन
(दो) बैठक क्षमता १३+१ या अधिक	रुपए २०० प्रति सीट प्रति सप्ताह या उसके भाग के लिए.
(ङ) ऐसे यान, जो मोटरयान अधिनियम, १९८८ की धारा ८७(१) (क) के अधीन दिए गए अस्थायी अनुज्ञा-पत्र पर ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं—	
(एक) यदि अनुज्ञा-पत्र मध्यप्रदेश राज्य द्वारा दिया गया है.	रुपए १२ प्रति सीट प्रति दिन+ अतिरिक्त/आरक्षित यान कर.
(दो) यदि अनुज्ञा-पत्र अन्य राज्य द्वारा दिया गया है.	रुपए ५० प्रति सीट प्रति दिन
(७) **ग्रामीण सेवा यान** जिनकी बैठक क्षमता ३+१ से ७+१ तक है और जो ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए दिए गए नियमित अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आते हैं.	ग्रामीण अनुज्ञा-पत्र की विधिमान्यता तक यान के मानक मूल्य का १ प्रतिशत.

स्पष्टीकरण १.—यात्रियों की ऐसी संख्या में, जिन्हें ले जाने के लिए यान अनुज्ञात है, ऐसे यान का चालक और परिचालक सम्मिलित नहीं हैं और यात्रियों की संख्या उतनी होगी जितनी कि मोटरयान अनुज्ञापत्र द्वारा ले जाने के लिए प्राधिकृत है.

स्पष्टीकरण २.—प्रथम अनुसूची की मद एक, दो और तीन में विनिर्दिष्ट कर केवल ऐसे यान के लिए होंगे जो कि मध्यप्रदेश राज्य में अस्थायी रजिस्ट्रीकरण/अस्थायी उपयोग के अधीन हैं.

स्पष्टीकरण ३.—ऐसे यान द्वारा एक दिन में तय की जाने वाली अनुज्ञात दूरी, जिसके संबंध में मोटरयान अधिनियम, १९८८ के अधीन अनुज्ञापत्र दिया गया है, वह दूरी होगी, जो मध्यप्रदेश में अनुज्ञापत्र के अनुसार तय किए जाने के लिए प्राधिकृत है.

स्पष्टीकरण ४.—ऐसे यानों को, जो नियमित ग्रामीण अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आते हैं, किसी और कर का भुगतान नहीं करना होगा, यदि वे अपना ग्रामीण अनुज्ञापत्र समुचित समय में नवीकृत करा लेते हैं. यदि वे ग्रामीण मार्ग से भिन्न मार्ग पर यान चलाना चाहते हैं, तो उस श्रेणी के यान के लिए द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर तथा पूर्व में संदत्त कर का अन्तर उद्ग्रहणीय होगा.

(१)	(२)
(पांच) माल वाहन—	
(१) ऐसे मालयान पर, १ अक्टूबर २०१४ के प्रारंभ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत था और जिसका रजिस्ट्रीकृत लदान भार ५००० किलोग्राम या कम है, कर, द्वितीय अनुसूची की मद ६ के अनुसार होगा.	
(२) ऐसे मालयान पर, जो १ अक्टूबर २०१४ के प्रारंभ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत था और जिसका रजिस्ट्रीकृत लदान भार ५००० किलोग्राम से अधिक है, कर,—	
(क) ५००० किलोग्राम से अधिक किन्तु ६००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.	रुपए ६००० प्रति वर्ष
(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए	रुपए १००० प्रति वर्ष
(३) अन्य राज्यों के मालयान जिनका रजिस्ट्रीकृत लदान भार—	
(क) ५००० किलोग्राम से अधिक नहीं है	रुपए ४२०० प्रति वर्ष
(ख) ५००० किलोग्राम से अधिक किन्तु ६००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.	रुपए ६००० प्रति वर्ष
(ग) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए	रुपए १००० प्रति वर्ष

स्पष्टीकरण १.—अन्य राज्यों के मालयानों के संबंध में, जो उस राज्य द्वारा जारी किए गए और मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्र के तहत् चलाए जा रहे हैं, कर का भुगतान ऊपर खण्ड (३) में विनिर्दिष्ट दर के पचासी प्रतिशत की दर से किया जाएगा.

स्पष्टीकरण २.—अन्य राज्यों के मालयानों के संबंध में, जो एक मास से अनधिक की कालावधि के अस्थायी अनुज्ञापत्र के अधीन मध्यप्रदेश राज्य में चलाया जा रहा है, कर की दर ऊपर खण्ड (३) में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिवर्ष देय कर का १/१२ भाग होगी.

स्पष्टीकरण ३.—मद पांच (२) में विनिर्दिष्ट मालयान के संबंध में, यान के स्वामी द्वारा, धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन अपनी पसंद से कर का संदाय किया जाएगा.

स्पष्टीकरण ४.—१ अक्टूबर २०१४ को या उसके पश्चात् अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत मालयान के संबंध में कर, द्वितीय अनुसूची की मद ८ के अनुसार उद्ग्रहणीय होगा और धारा ५ की उपधारा (२) में उपबंधित किए गए अनुसार प्रथम अनुसूची की मद पांच (३) के अनुसार कर काटा जाएगा.

(छह) निजी सेवा यान जिनकी बैठक क्षमता १२+१ से अधिक हो.	रुपए ४८० प्रति सीट प्रति तिमाही
(सात) शैक्षणिक संस्था बस	रुपए १२ प्रति सीट प्रति वर्ष
(आठ) अन्य यान—	
(१) (क) मद एक, दो तथा तीन के अतिरिक्त अन्य यान जो व्यावसायिक प्रमाण-पत्र या अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के अंतर्गत आते हैं और जिनका लदान रहित वजन ५००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.	रुपए ६०० प्रति तिमाही

(१)	(२)
(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए.	रुपए ३००.०० प्रति मास
(२) ऐसे यान जो अन्य राज्य की किसी अनुसूची में नहीं आते हैं और मध्यप्रदेश राज्य में लाए जाते हैं—	
(क) ऐसे यान जिनका लदान रहित वजन ३००० किलोग्राम तक है.	रुपए ५००.०० प्रति मास
(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए.	रुपए २००.०० प्रति मास

द्वितीय अनुसूची

[धारा ३ की उपधारा (१) देखिए]

मोटरयानों का विवरण (१)	जीवनकाल कर की दर (२)
१. (क) मोटर साइकिल संलग्नकों (अटैचमेंट) सहित या रहित.	यान के मानक मूल्य का ७%
(ख) बैटरी / सीएनजी / एल.पी.जी. द्वारा चलित मोटरसाइकिलें—	यान के मानक मूल्य का ५%
२. मोटर कार / मोटर कैब (जिनमें अशक्त यात्री गाड़ी सम्मिलित हैं)—जिनका मानक मूल्य—	
(१) रुपए १५.०० लाख तक—	
(क) पेट्रोल अथवा डीजल चलित	यान के मानक मूल्य का ७%
(ख) हायब्रिड यान	यान के मानक मूल्य का ६%
(ग) बैटरी / सीएनजी / एल.पी.जी. / चलित	यान के मानक मूल्य का ५%
(२) रुपए १५.०० लाख से अधिक—	
(क) पेट्रोल अथवा डीजल चलित	यान के मानक मूल्य का ८%
(ख) हायब्रिड यान	यान के मानक मूल्य का ६%
(ग) बैटरी / सीएनजी / एल.पी.जी. / चलित	यान के मानक मूल्य का ५%
३. मोटरयान जिसकी बैठक क्षमता ६+१ से अधिक तथा १२+१ तक है (निजी उपयोग हेतु अथवा वाणिज्यिक उपयोग हेतु)—	
(क) पेट्रोल अथवा डीजल चलित	यान के मानक मूल्य का ८%
(ख) हायब्रिड यान	यान के मानक मूल्य का ६%
(ग) बैटरी / सीएनजी / एल.पी.जी. / चलित	यान के मानक मूल्य का ५%
४. अशक्त यात्री गाड़ी (मोटरसाइकिल)	३६० रुपए

(१)	(२)
५. मोटर यान जिनकी बैठक क्षमता ३+१ है—	
(क) पेट्रोल अथवा डीजल द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का ७%
(ख) हायब्रिड यान	यान के मानक मूल्य का ६%
(ग) बैटरी / सीएनजी / एल.पी.जी. / चलित	यान के मानक मूल्य का ५%

६(१) १ अक्टूबर, २०१४ के पूर्व परिवहन यान के रूप में रजिस्ट्रीकृत ऐसे यान जो त्रैमासिक/मासिक मोटरयान कर का भुगतान कर रहे हैं और जिनकी बैठक क्षमता ३+१ और १२+१ के बीच है, के लिए जीवनकाल कर की दर वर्ष में एक या दो समान किश्तों में संदत्त की जाएगी जो निम्नानुसार होगी:—

(१)	(२)	(३)
वाहन का प्रकार	मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख को तीन वर्ष तक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान	मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख को तीन वर्ष से अधिक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान
(क) बैठक क्षमता ३+१ तक	यान के मानक मूल्य का ३%	यान के मानक मूल्य का २%
(ख) बैठक क्षमता ३+१ से अधिक तथा ६+१ तक.	यान के मानक मूल्य का ४%	यान के मानक मूल्य का ३%
(ग) बैठक क्षमता ६+१ से अधिक तथा १२+१ तक.	यान के मानक मूल्य का ५%	यान के मानक मूल्य का ४%

(२) ऐसे यान जो निजी उपयोग के लिए पूर्व में रजिस्ट्रीकृत हैं जिनका जीवनकाल कर संदाय किया जा चुका है और जो परिवहन यान के रूप में परिवर्तित किए गए हैं पर जीवनकाल कर के अतिरिक्त कर निम्नानुसार संदत्त किया जाएगा :—

(क) मोटर केब	–	यान के मानक मूल्य का १ प्रतिशत
(ख) मेक्सी केब	–	यान के मानक मूल्य का २ प्रतिशत

७. ऐसे मालयान जिनका कि रजिस्ट्रीकृत लदान भार ५००० किलोग्राम या कम है तथा जो १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत है, जीवनकाल कर की दर निम्नानुसार होगी:—	
(क) १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख तीन वर्ष तक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान.	यान के मानक मूल्य का ४%
(ख) १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख को तीन वर्ष से अधिक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान.	यान के मानक मूल्य का ३%
८. मालयान—	
(क) चेसिस	मानक मूल्य का ७%
(ख) निर्माता द्वारा निर्मित बॉडी युक्त	मानक मूल्य का ६%
९. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानों के किसी भी वर्ग के अंतर्गत न आने वाले ऐसे समस्त अन्य नवीन मोटरयान.	मानक मूल्य का ६%

(१)	(२)
१०. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानों के किसी भी वर्ग के अंतर्गत न आने वाले तथा १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत ऐसे समस्त मोटरयानों के लिए जीवनकाल कर की दर निम्नानुसार होगी:—	
(क) १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख को तीन वर्ष तक के पुराने रजिस्ट्रीकृत यान.	वाहन के मानक मूल्य का ४%
(ख) १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख को तीन वर्ष से अधिक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान.	वाहन के मानक मूल्य का ३%

स्पष्टीकरण १.—खण्ड ६, ७ एवं १० के अधीन जीवनकाल कर जमा करने की तारीख को ऐसे वाहन पर कोई कर बकाया नहीं होना चाहिए. १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख से ऐसे वर्ग के यान को मासिक/त्रैमासिक कर भुगतान करने से वर्जित होंगे.

स्पष्टीकरण २.—यान के मानक मूल्य से अभिप्रेत है रजिस्ट्रीकरण के समय व्यापारी द्वारा वसूल किया गया मानक मूल्य या उस समय परिवहन विभाग द्वारा निश्चित किया गया उक्त यान का मानक मूल्य, जो भी उच्च हो.

स्पष्टीकरण ३.—यानों के उपरोक्त वर्ग के मानक मूल्य के आधार पर जीवनकाल कर की संगणना करने के लिए यान स्वामी से यह अपेक्षा की जाएगी की वह रजिस्ट्रीकरण के समय व्यापारी द्वारा जारी की गई विक्रय रसीद प्रस्तुत करे. यान का मानक मूल्य मध्यप्रदेश में देय मानक मूल्य होगा.

स्पष्टीकरण ४.—एबैटरी/सीएनजी/एल.पी.जी. चलित यानों के संबंध में कर की दर केवल तभी देय होगी जबकि ऐसा यान निर्माता द्वारा ही इस प्रकार निर्मित किया गया है.

स्पष्टीकरण ५.—हायब्रिड यान ऐसा यान है जो कि यान को चलाने के लिए दो या अधिक भिन्न स्रोतों का उपयोग करता है. जिनमें से एक सीएनजी/एल.पी.जी./एनएलजी या बैटरी होना चाहिए.

तृतीय अनुसूची

(धारा ४ देखिए)

यान का वर्ग (१)	नगर निगम के भीतर स्थित निर्माता या व्यापारी (२)	नगर निगम से भिन्न क्षेत्र के भीतर स्थित निर्माता या व्यापारी (३)
१. मोटर साइकिल / दो पहिया	रुपए १०००० प्रतिवर्ष	रुपए ६००० प्रतिवर्ष
२. कोई अन्य यान	रुपए १८००० प्रतिवर्ष	रुपए १२००० प्रतिवर्ष

निरसन तथा व्यावृत्ति

४. (१) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ६ सन् २०१४) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2015

क्र. 62-2-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 1 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 1 OF 2015.

THE MADHYA PRADESH MOTORYAN KARADHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2014

Received the assent of the Governor on the 2nd January, 2015; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 3rd January, 2015.

An Act further to amend the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 .

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fifth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1),—

(i) in the opening paragraph, for the words "First Schedule", the words "First Schedule and Second Schedule" shall be substituted;

(ii) first proviso shall be deleted.

Substitution of First Schedule, Second Schedule and Third Schedule.

3. For the First Schedule, Second Schedule and Third Schedule of the principal Act, the following Schedules shall be substituted, namely:—

"FIRST SCHEDULE
[See sub-section (1) of section 3]

Class of Motor Vehicle (1)	Rate of tax for Motor Vehicles (In rupees) (2)
I. Motor Cycle	90 per quarter

(1)	(2)
II. MOTOR VEHICLE :	
(a) Seating capacity not more than 3+1	90 per seat per quarter
(b) Seating capacity more than 3+ 1 upto 6+1	300 per seat per quarter
(c) Seating capacity more than 6+1 upto 12+1	450 per seat per quarter
III. INVALID CARRIAGE (made by the manufacturers)	Rs. 9 per quarter
IV. PUBLIC SERVICE VEHICLE	
(1) Vehicle permitted to carry 13+ 1 passengers or more and plying as stage/ contract carriage for hire or reward :—	
(a) On city routes plying as a Nagar Sewa/ City Bus	90 per seat per quarter
(b) In areas adjacent to city routes as notified by the State Government	150 per seat per quarter
(2) Vehicle permitted to carry 13+ 1 passengers or more kept as spare/reserve vehicle	180 per seat per Month
(3) Vehicle permitted to ply as a stage cariage on routes other than city routes and where the permitted distance covered in a day-	
(a) does not exceed 100 km	180 per seat per month
(b) thereafter for every 10 km or part thereof	Rs. 12 per seat per month
(4) If the vehicle is under lease agreement and it operates as stage carriage	20% in addition to the levied tax.
(5) (a) Vehicles of other State permitted to ply under Reciprocal Agreement on inter-state routes—	
(i) For Ordinary Bus	Rs. 12 for each 10 km or part there of per seat per month.
(ii) For Other than Ordinary Bus	Rs. 15 for each 10 km or part thereof per seat per month.
(b) Vehicles of other State permitted to ply without reciprocal agreement on interstate route.	Rs. 60 per seat per month or part thereof in addition to tax specified in (a) (i) and (ii) alove
(6) **Contract Carriage Vehicles—**	
(a) Vehicle permitted to ply within the State as contract carriage having seating capacity of 13+1 or more—	Rs. 600 per seat per month
(b) Vehicles having seating capacity 13+1 or more and permitted to ply as contract carriage covered by "All India Tourist Permit" issued by Madhya Pradesh State under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988.	Rs. 700 per seat per month

	(1)	(2)
(c)	Vehicles having seating capacity 13+1 or more and plying on contract on Special Permit granted by Madhya Pradesh State under sub-section (8) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988.	Rs. 180 per seat per month plus spare/reserve Motor Vehicle Tax.
(d)	Vehicle permitted to ply as contract carriage covered by All India Tourist Permit issued by other State under sub-section (9) of section 88 or Special permit issued under sub-section (8) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988—	
	(i) Seating capacity up to 12+1	Rs. 50 per seat per day
	(ii) Seating capacity 13+1 or more	Rs. 200 per seat per week or part thereof.
(e)	Vehicle plying as contract carriage on a temporary permit granted under section 87 (1) (a) of the Motor Vehicles Act, 1988—	
	(i) If permit is granted by Madhya Pradesh State	Rs. 12 per seat per day + spare tax.
	(ii) If permit is granted by other State	Rs. 50 per seat per day
(7)	Rural Service Vehicle having seating capacity 3+1 up to 7+1 and is covered under Regular permit granted for rural transport service.	1 percent of the standard price of vehicle till the validity of the rural permit.

Explanation 1.—The number of passengers which a vehicle is permitted to carry shall not include the driver and conductor of such vehicle and shall be the number of passengers which the motor vehicle is authorized to carry by the permit.

Explanation 2.—Tax specified in Items I, II and III of First Schedule shall be only for vehicle under temporary registration/temporary use in the State of Madhya Pradesh.

Explanation 3.—The distance permitted to be covered by a vehicle in a day in respect of which a permit is granted under the Motor Vehicles Act, 1988 shall be the distance authorized to be covered according to the permit in Madhya Pradesh.

Explanation 4.—Vehicles which are covered under regular rural permit shall not have to pay any further tax if they get their rural permit renewed in appropriate time. If they want to ply vehicle on route other than rural routes then difference between tax specified for that category of vehicle specified in Second Schedule and tax already paid, shall be leviable.

V. GOODS CARRIAGE :

(1) On goods vehicle which was registered prior to 1st October, 2014 and having registered laden weight 5000 Kg. or less, the tax shall be as per Item 7 of the Second Schedule.

(2) On goods vehicle which was registered prior to 1st October, 2014 and having registered laden weight more than 5000 Kg. the tax shall be—

(a)	Exceeds 5000 Kg. but does not exceed 6000 Kg.	Rs. 6000 per annum
(b)	thereafter for each 1000 Kg. or part thereof	Rs. 1000 per annum

(1)	(2)
(3) Goods carriage of other States, the registered laden weight of which—	
(a) Does not exceed 5000 Kg.	Rs. 4200 per annum
(b) Exceeds 5000 Kg. but does not exceed 6000 Kg.	Rs. 6000 per annum
(c) thereafter for each 1000 Kg. or part thereof	Rs. 1000 per annum

Explanation 1.—In respect of goods carriages belonging to other State, plying on the strength of permit issued by that State and countersigned by the State of Madhya Pradesh the tax shall be paid at the rate of eighty-five per cent of the rate specified in clause (3) above.

Explanation 2.—In respect of goods carriage of other State plying in the State of Madhya Pradesh under temporary permit for a period not exceeding one month, the rate of tax shall be 1/12th of the tax payable per annum as specified in clause (3) above.

Explanation 3.—In respect of the goods carriage specified in item V (2), the tax shall be paid by the owner of the vehicle at his choice under sub-section (1) of section 5.

Explanation 4.—In respect of the goods carriage of other State registered on or after 1st October, 2014 the tax will be levied as per item 8 of the Second Schedule and tax will be deducted as per item V (3) of the First Schedule as provided in sub-section (2) of section 5.

(1)	(2)
VI. PRIVATE SERVICE VEHICLE having seating capacity exceeding 12+1	Rs. 480 per seat per quarter
VII. EDUCATIONAL INSTITUTION BUS :	Rs. 12 per seat per annum
VIII. OTHER VEHICLES—	
(1) (a) The vehicles excluding items I, II and III and covered under Trade certificate or temporary registration and having unladen weight which does not exceed 5000 Kg.	Rs 600 per month
(b) Thereafter for each 1000 Kg. or part thereof.	Rs 300 per month
(2) The vehicle not covered in any category of any schedule of other State brought into the State of Madhya Pradesh—	
(a) Vehicle having unladen weight upto 3000 Kg.	Rs 500 per month
(b) Thereafter for each 1000 Kg. or part thereof.	Rs 200 per month

SECOND SCHEDULE

[See sub-section (1) of section 3]

Description of Motor Vehicle (1)	Rate of Life Time Tax (2)
1. (a) Motor cycle with or without attachment	7% of the standard price of vehicle
(b) Motor cycle operated by Battery/CNG/LPG	5% of the standard price of vehicle
2. Motor car/Motor cab (which includes invalid carriage) the standard price of which is—	
(1) Upto Rs. 15.00 lakh—	
(a) Driven by Petrol or Diesel	7% of the standard price of vehicle
(b) Hybrid vehicle	6% of the standard price of vehicle
(c) Driven by Battery/CNG/LPG	5% of the standard price of vehicle
(2) Exceeding Rs. 15.00 lakh—	
(a) Driven by Petrol or Diesel	8% of the standard price of vehicle
(b) Hybrid vehicle	6% of the standard price of vehicle
(c) Driven by Battery/CNG/LPG	5% of the standard price of vehicle
3. Motor Vehicle having seating capacity more than 6+1 up to 12+1 (for private use or for commercial use)—	
(a) Driven by Petrol or Diesel	8% of the standard price of vehicle
(b) Hybrid vehicle	6% of the standard price of vehicle
(c) Driven by Battery/CNG/LPG	5% of the standard price of vehicle
4. Invalid Carriage (Motor-Cycle)	Rs. 360
5. Motor Vehicle having seating capacity 3+1—	
(a) Driven by Petrol or Diesel	7% of the standard price of vehicle
(b) Hybrid vehicle	6% of the standard price of vehicle
(c) Driven by Battery/CNG/LPG	5% of the standard price of vehicle

6. (1) Vehicles having seating capacity from 3+1 upto 12+1 registered as transport vehicle prior to 1st October, 2014 which are paying quarterly/monthly Motor Vehicle Tax, the rate of life time tax shall be paid in one or two equal instalments within a year as follows:—

Type of vehicle (1)	Up to three years old registered vehicle on 1st October, 2014 (2)	More than three years old registered vehicle on 1st October, 2014 (3)
(a) having seating capacity upto 3+1	3% of the standard price of vehicle	2% of the standard price of vehicle
(b) having seating capacity more than 3+1 and upto 6+1.	4% of the standard price of vehicle	3% of the standard price of vehicle
(c) having seating capacity more than 6+1 and upto 12+1.	5% of the standard price of vehicle	4% of the standard price of vehicle

(2) The vehicle which are perviously registered as private use for which life time tax has been paid, converted in to transport vehicle, the tax shall be paid in addition to the life time tax as follows:—

(a) Motor Cab - 1% of the standard price of vehicle

(b) Maxi Cab - 2% of the standard price of vehicle

7. Goods carriage having registered laden weigh 5000 Kg, or less and registered prior to 1st October, 2014 the rate of life time tax shall be as fo1lows:—

(a) Upto three years old registerd vehicle on 1st October, 2014. 4% of the standard price of vehicle

(b) More than three years old registered vehicle 1st October, 2014. 3% of the standard price of vehicle

8. Goods Carriage—

(a) Chasis 7% of the standard price

(b) With body built by the manufacturer 6% of the standard price

9. All such other new motor vehicles which are not covered in any of the category of vehicls specified in this Schedule. 6% of the standard price of vehicle

10. All such other motor vehicles which are not covered in any of the category of vehicles specified in this Schedule and registered prior to 1st October 2014 the rate of life time lax shall be as follows:—

(a) Upto three years old registered vehicle on 1st October, 2014. 4% of the standard price of vehicle

(b) More than three years old registered vehicle on 1st October, 2014. 3 % of the standard price of vehicle

Explantion 1.—On the date of making payment of life time tax under clauses 6, 7 and 10, there should not be any tax due on such vehicle on 1st October, 2014 such categories of vihicles are barred from making manthly/ quarterly tax.

Explantion 2.—The standard price of the vehicle means standard price realized by the dealer at the time of registration or the standard price of the siad vehicle determined by the Transport Department at that time, whichever is higher.

Explantion 3.—For calculating the life time tax on the basis of the standard price of the above class of vehicle, the owner of the vehicle shall be required to produce sale receipt issued by the dealer at the time of registration. The standard price of the vehicle shall be the standard price payable in the Madhya Pradesh.

Explantion 4.—In respect of Battery/CNG/LPG driven vehicles the rate of tax shall be payable only when such vehicle is manufactured by the manufacturer as such.

Explantion 5.—Hybrid vehicle is the vehicle that uses two or more distinct power sources to move the vehicle. One of which should by CNG/LPG/NLG or Battery.

THIRD SCHEDULE

[See section (4)]

Class of Vehicle (1)	The manufacturer or dealer situated within Municipal Corporation (2)	The manufacturer or dealer situated in the area other than Municipal Corporation (3)
1. Motor Cycles/Two Wheeler	Rs. 10000 per annum	Rs. 6000 per annum
2. Any other vehicles	Rs. 18000 per annum	Rs. 12000 per annum

Repeal and saving.

4. (1) The Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhyadesh 2014 (No. 6 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action thaken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.